

राजस्थान वित्त विधेयक, 2012
(जैसाकि राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 है।
2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 13 और 14 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 22 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"22. कर निक्षिप्त करने में अथवा विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर निर्धारण.- (1) जहां कोई व्यवहारी अधिसूचित कालावधि के भीतर-भीतर धारा 20 के उपबंधों के अनुसार कर निक्षिप्त करने में विफल रहा है, या विहित कालावधि के भीतर-भीतर धारा 21 के उपबंधों के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने में या धारा 73 के उपबंधों के अनुसार कोई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इस अधिनियम में के शास्तिक उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे और व्यवहारी को सुने जाने का कोई युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस कालावधि के लिए अपने सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारित करेगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्धारित कर, आगत कर मुजरे और इस निमित्त अग्रिम रूप से निक्षिप्त की गयी रकम, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात्, व्यवहारी द्वारा, मांग के नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर संदेय होगा। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसी कालावधि को कम कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन निक्षिप्त कर सुसंगत कालावधि के लिए निर्धारण में समायोजित किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश, ऐसी कालावधि, जिसके लिए कर निक्षिप्त नहीं किया गया है, की समाप्ति या, यथास्थिति, ऐसी विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो प्रस्तुत नहीं की गयी हो, को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से नौ मास की समाप्ति के पश्चात्, पारित नहीं किया जायेगा।"

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 की विद्यमान उप-धाराएं (4) और (4क) हटायी जायेंगी।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(4) जहां किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति ने किसी निर्धारण प्राधिकारी या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को कोई अपील फाइल की हो, वहां उक्त अपील प्राधिकारी, ऐसी अपील को

राजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् और अपीलार्थी और निर्धारण प्राधिकारी या अधिकारी या उसके किसी प्रतिनिधि की सुनवाई करने के पश्चात् कर या मांग की विवादग्रस्त रकम या उसके किसी भाग की वसूली को ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अपील का निपटारा किये जाने तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन रोक सकेगा कि उक्त व्यवहारी या व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत कर दे, जो विहित की जाये:

परन्तु जहां रोक के लिए किसी आवेदन को उसके फाइल किये जाने से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर नहीं निपटाया जाता और देरी आवेदक के कारण नहीं हुई हो तो उसे इस शर्त के अध्यक्षीन स्वीकार किया हुआ समझा जायेगा कि ऐसा व्यवहारी या व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत कर दे, जो विहित की जाये:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कम्पनी द्वारा इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित नहीं होगी।"

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 63 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 63 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, उप-धारा (1) के अधीन कर वसूल करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा।"

अध्याय 3

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

7. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 16 की विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

8. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

- (i) विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत होटलवाले द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी, इसकी शुद्धता सत्यापित करने के लिए, ऐसी संवीक्षा के अध्यक्षीन होगी, जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये, और यदि वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी विहित समय के भीतर-भीतर फाइल कर दी जाती है, और-

- (i) कोई भी गलती नहीं पायी जाती है तो ऐसी विवरणी के आधार पर वह होटलवाला उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;
- (ii) कोई गलती पायी जाती है तो विलास-कर अधिकारी, गलतियों की परिशुद्धि करने और ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए विहित प्ररूप में होटलवाले को एक नोटिस देगा और यदि होटलवाला नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी देता है और कर, यदि कोई हो, निक्षिप्त कर देता है तो वह ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।";
- (ii) विद्यमान उप-धारा (3) हटायी जायेगी;
- (iii) उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (3)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (2) के खण्ड (ii)" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(5) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत होटलवाले द्वारा किसी भी वर्ष की सभी विवरणियां फाइल कर दी जायें, वहां उस वर्ष के संबंध में उप-धारा (4) के अधीन निर्धारण का कोई भी आदेश, उस वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष पश्चात् या राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. ...) के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा आदेश किसी भी कारण से उक्त कालावधि के भीतर-भीतर न किया

जाये तो इस प्रकार फाइल की गयी विवरणियां सही और पूर्ण मान ली जायेंगी और निर्धारण तदनुसार ही पूरा समझ लिया जायेगा:

परन्तु जहां इस अधिनियम के अधीन अपील में या उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किये गये किसी भी आदेश को ध्यान में रखते हुए कोई ताजा निर्धारण किया जाना हो, वहां ऐसा निर्धारण विलास-कर अधिकारी के द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर-भीतर किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा में अधिकथित परिसीमा की किसी कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जिसके दौरान निर्धारण किसी भी सक्षम प्राधिकारी के या उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन रुका रहा:

परन्तु यह भी कि आयुक्त, राजस्व के हित में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी भी कालावधि विशेष के लिए किसी भी विशिष्ट होटलवाले या होटलवालों के वर्ग-विशेष का निर्धारण न करने के निदेश जारी कर सकेगा और निर्धारण की कार्यवाही रोकने के ऐसे निदेश में समाविष्ट कालावधि, इस उप-धारा में अधिकथित परिसीमा-कालावधि की संगणना करने में अपवर्जित कर दी जायेगी।"; और

(v) विद्यमान उप-धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(6) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत होटलवाला किसी भी कालावधि के संबंध में विवरणी विहित तारीख तक नहीं देता है तो विलास-कर अधिकारी उस वर्ष की, जिसमें ऐसी कालावधि पड़ती है, समाप्ति से दो वर्ष के भीतर-भीतर किसी भी समय या राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. ...), के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, होटलवाले को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपने सर्वोत्तम विवेक से, उससे शोध्द कर, यदि कोई हो, की रकम निर्धारित करने की कार्यवाही करेगा।"।

अध्याय 4

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में संशोधन

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 12 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी, इसकी शुद्धता सत्यापित करने के लिए ऐसी संवीक्षा के अध्यक्षीन होगी, जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये और यदि कोई भी गलती पायी जाये तो निर्धारण प्राधिकारी, उस व्यवहारी को ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, गलतियों को सुधारने के लिए और पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए विहित प्ररूप में नोटिस देगा। जहां कोई व्यवहारी इस उप-धारा के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में, नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी देता है और कर, यदि कोई हो, निक्षिप्त करता है तो वह पुनरीक्षित विवरणी के आधार पर धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

(3क) जहां कोई व्यवहारी, उप-धारा (3) के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणी नोटिस के निबंधनों के अनुसार न हो, वहां निर्धारण प्राधिकारी, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने सर्वोत्तम विवेक से उस व्यवहारी का निर्धारण करेगा।";

(ii) विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(4) यदि व्यवहारी द्वारा विहित कालावधि के भीतर-भीतर उप-धारा (1) के अधीन कोई भी विवरणी नहीं दी जाती है या व्यवहारी, विहित समय के भीतर-भीतर धारा 17 के अनुसार कर निक्षिप्त करने में विफल

रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक से उस व्यवहारी का निर्धारण करेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व, व्यवहारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।"; और

(iii) उप-धारा (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उस तारीख से, जिसको उस वर्ष के लिए किसी व्यवहारी द्वारा विवरणी प्रस्तुत की गयी थी, तीन वर्ष की कालावधि के पश्चात् नहीं किया जायेगा:" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सुसंगत वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष या राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. ...) के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, नहीं किया जायेगा तथापि, आयुक्त, किसी विशिष्ट मामले में, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसी समय सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि तक बढ़ा सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 14 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"14. स्वनिर्धारण.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर-भीतर उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल कर दी है, धारा 12 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, फाइल की गयी वार्षिक विवरणी के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों की एक सूची इलेक्ट्रॉनिक या प्रिण्ट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जा सकेगी और ऐसा प्रकाशन, जहां कहीं अपेक्षित हो, ऐसे व्यवहारियों को सम्यक् सूचना समझी जायेगी।"

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 16 हटायी जायेगी।

12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 28 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश की तारीख से पांच वर्ष के भीतर-भीतर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश की तारीख से चार वर्ष या राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम सं. ...) के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो," प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 5

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 का संशोधन

13. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (xi) के विद्यमान उप-खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 के अधीन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश,"।

14. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) विद्यमान अनुच्छेद 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"5. करार या करार का ज्ञापन-

(क) यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित है; दस रुपये।

(ख) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर के विक्रय से संबंधित है; दो सौ रुपये अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये।

(ग) यदि वह स्थावर संपत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित है, जब कब्जा न तो दिया गया हो और न ही देने का करार किया गया हो; करार या करार के ज्ञापन में यथा-उपवर्णित संपत्ति के कुल प्रतिफल का तीन प्रतिशत:

परन्तु ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे करार के अनुसरण में हस्तांतरण-पत्र के

- (घ) यदि वह किसी बैंक या वित्तीय कम्पनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित है;
- (ङ) यदि वह किसी स्थावर संपत्ति पर संनिर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए किसी संप्रवर्तक या विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, प्राधिकार या शक्ति, देने से संबंधित है;
- (च) यदि, निर्माण, प्रचालन और अन्तरण (बीओटी) प्रणाली के अधीन परियोजना, चाहे पथकर या शुल्क संग्रहण अधिकारों सहित है या उसके बिना है, से संबंधित है;

निष्पादन के समय हस्तांतरण-पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति बाद में समायोजित किया जायेगा, यदि ऐसा हस्तांतरण-विलेख करार की तारीख से तीन वर्ष के भीतर-भीतर निष्पादित किया जाये।

उधार या ऋण की रकम का 0.1 प्रतिशत।

वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है:

परन्तु यह कि धारा 51 के उपबंध ऐसे करार या करार के ज्ञापन पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन किसी लिखत पर लागू होते हैं:

परन्तु यह और कि यदि उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी संपत्ति के संबंध में मुख्तारनामे पर अनुच्छेद 44 के खण्ड (डडड) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त कर दिया गया है तो इस अनुच्छेद के अधीन स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये होगा।

न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्यधीन, संविदा में करार पायी रकम का 0.2 प्रतिशत।

(छ) यदि उसके लिए अन्यथा उपबंध एक सौ रुपये।
नहीं किया गया है;

छूट :

करार या करार का ज्ञापन,-

(क) जो अनन्यतः माल या
वाणिज्या के विक्रय के लिए
है या उससे संबंधित है और
सं. 40 के अधीन प्रभार्य नोट
या ज्ञापन नहीं है;

(ख) जो सरकार को किन्हीं ऐसी
निविदाओं के रूप में किये
गये हैं जो किसी उधार के
लिए या उससे संबंधित हैं।";

(ii) अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 1) की धारा 394 के अधीन आदेश से संबंधित हो", के स्थान पर अभिव्यक्ति "यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) अनुच्छेद 21 के स्पष्टीकरण (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे आमेलन के लिये संदत्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे आमेलन या, यथास्थिति, पुनर्गठन के लिए संदत्त" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) विद्यमान अनुच्छेद 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"43. भागीदारी.-

(1) भागीदारी की लिखत,-

(क) जहां भागीदारी में कोई शेयर पांच सौ रुपये।
अंशदान नहीं है या जहां नकद के
रूप में किया गया ऐसा शेयर
अंशदान पचास हजार रुपये से
अनधिक है;

- (ख) जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अधिक है, प्रत्येक पचास हजार रुपये या उसके भाग के लिए; पांच हजार रुपये के अधिकतम शुल्क के अधीन, पांच सौ रुपये।
- (ग) जहां, ऐसा शेयर अंशदान स्थावर संपत्ति के रूप में किया गया है। वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
- (2) भागीदारी का विघटन या भागीदार का निवर्तन,-
- (क) जहां भागीदारी के विघटन पर या भागीदार के निवर्तन पर कोई संपत्ति उस भागीदार, जो उस संपत्ति को भागीदारी में उसके अंशदान के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी अन्य भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली जाती है; एक सौ रुपये न्यूनतम के अधीन वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
- (ख) किसी अन्य मामले में। पांच सौ रुपये।";
- (v) अनुच्छेद 44 के विद्यमान खण्ड (डड) के पश्चात् और खण्ड (च) के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
- "(डड) जब कोई स्थावर संपत्ति उस पर सन्निर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अंतरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए संप्रवर्तक या विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, दी जाये। वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है: परन्तु धारा 51 के उपबंध मुख्तारनामे की ऐसी लिखत पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन हस्तांतरण-पत्र पर लागू होते हैं: परन्तु यह और कि जब उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी संपत्ति के संबंध में किसी करार या करार के ज्ञापन पर अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त किया जाये तो इस खण्ड के अधीन प्रभार्य शुल्क एक सौ रुपये होगा।";

(vi) विद्यमान अनुच्छेद 51 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"51. व्यवस्थापन-

(क) व्यवस्थापन की लिखत जिसके अन्तर्गत महर विलेख है,-

(i) जहां व्यवस्थापन वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या किसी धार्मिक या पूर्त व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिए बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता किया गया है;

(ii) किसी अन्य मामले में,-

(i) स्थावर संपत्ति के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के हस्तांतरण-पत्र (सं. 21 (i)) पर लगता है; और

(ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है:

परन्तु जहां व्यवस्थापन के लिए करार व्यवस्थापन की लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन लिखत बाद में निष्पादित की गयी है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां व्यवस्थापन की लिखत में व्यवस्थापन के प्रतिसंहरण का उपबंध अन्तर्विष्ट हो, वहां रकम या व्यवस्थापित संपत्ति का मूल्य, शुल्क के प्रयोजन के लिए ऐसे अवधारित किया जायेगा मानो लिखत में ऐसे कोई उपबंध अन्तर्विष्ट नहीं थे।

छूट:

मुसलमानों के बीच विवाह के अवसर पर या उसके संबंध में, विवाह के पूर्व या उसके पश्चात्, निष्पादित किया गया महर विलेख।

(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण,-

- (i) खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) में वर्णित व्यवस्थापन के संबंध में; वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य, जो प्रतिसंहरण लिखत में उपवर्णित है, के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।
- (ii) खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में वर्णित व्यवस्थापन के संबंध में।
- (i) स्थावर संपत्ति के मामले में, वही शुल्क जो संबंधित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तांतरण-पत्र (सं. 21 (i)) पर लगता है, और
- (ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो प्रतिसंहरण लिखत में व्यवस्थापित रकम या संबंधित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के प्रतिफल के लिए बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।"; और

(vii) विद्यमान अनुच्छेद 56 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"56. न्यास-

(क) की घोषणा, किसी संपत्ति की या उसके बारे में जबकि, विल से भिन्न किसी लिखित रूप में की गयी हो,-

(क) जहां संपत्ति का व्ययन कर दिया गया है,-

- (i) जहां न्यास किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए बनाया गया है; वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है।
- (ii) किसी अन्य मामले में। (i) स्थावर संपत्ति के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के हस्तांतरण-पत्र (सं. 21 (i)) पर लगता है; और (ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है।
- (ख) जहां संपत्ति का व्ययन नहीं किया गया है। वही शुल्क जो रकम या संबंधित सम्पत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो साठ रुपये से अधिक नहीं होगा।
- (ख) का प्रतिसंहरण, किसी संपत्ति का या उसके बारे में, जबकि वह विल से भिन्न किसी लिखत द्वारा किया गया हो। वही शुल्क जो रकम या संबंधित सम्पत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।

अध्याय 6

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में संशोधन

15. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 42 का संशोधन.- (1) राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 42 में,-

- (i) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 48 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी पुनरीक्षण के

कारण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 48 के अधीन या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 48 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी पुनरीक्षण के कारण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 48 के अधीन या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप" प्रतिस्थापित की जायेगी।

16. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 48 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निर्धारित और अपील करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय कर के आधे से अन्यून के संदाय का समाधानप्रद सबूत उसके साथ न लगा हो।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील करने वाले व्यक्ति ने निर्धारित और संदेय कर के पच्चीस प्रतिशत के संदाय का समाधानप्रद सबूत उसके साथ न लगाया हो।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

17. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 51 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"51. राजस्थान कर बोर्ड को अपील.- (1) धारा 48 या 50 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, पारित किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 88 के अधीन गठित राजस्थान कर बोर्ड को होगी।

(2) राजस्थान कर बोर्ड, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि उस कालावधि के भीतर-भीतर अपील न किये जाने का पर्याप्त कारण था।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विहित रीति से प्रस्तुत और सत्यापित की जायेगी।

(4) राजस्थान कर बोर्ड पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अपील पर ऐसा आदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 22, अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार कर निक्षिप्त करने में विफल रहने के मामले में निर्धारण के लिए उपबंध करती है और अधिनियम की धारा 21 रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करती है। कुछ व्यवहारी लम्बे समय तक अपनी विवरणियां फाइल नहीं करते हैं जिसके कारण उनका कर दायित्व निर्धारित नहीं हो पाता। इसलिए, समय पर कर का संग्रहण और आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी के सर्वोत्तम विवेक से ऐसे व्यवहारियों का, जो अपनी विवरणी विहित समय के भीतर-भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 22 और धारा 24 में यथोचित संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38, उप-आयुक्त (अपील) द्वारा छह मास की कालावधि के लिए, जो अगले छह मास तक और बढ़ायी जा सके, रोक मंजूर करने का उपबंध करती है। रोक मंजूर करते समय व्यवहारी से विवादग्रस्त रकम के संदाय के लिए प्रतिभूति देना अपेक्षित है। जब व्यवहारी रोक को बढ़ाने के लिए आवेदन करता है तो उसको एक बार फिर प्रतिभूति देनी होती है। व्यवहारियों को, प्रतिभूति दस्तावेज दुबारा तैयार करने के भार से मुक्त करने हेतु उप-आयुक्त (अपील) को, एक बार में एक वर्ष की कालावधि के लिए रोक मंजूर करने के लिए सशक्त किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (4) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 63 की उप-धारा (2) संविदाकार के निर्धारण प्राधिकारी को, कर वसूल करने और अर्वाइर पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त करती है। चूंकि एक ही अर्वाइर अनेक संकर्म संविदाएं करता है जिससे संविदाकारों के सभी निर्धारण प्राधिकारियों को अर्वाइर पर कर और शास्ति उद्ग्रहण करने की अधिकारिता प्रदत्त होती है। अधिकारिता की इस अतिव्याप्ति और एक ही काम को दुबारा करने से बचने के लिए, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के कतिपय उपबंधों को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुरूप करने के लिए इस अधिनियम की धारा 16 और 17 के उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के कतिपय उपबंधों को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुरूप करने के लिए इस अधिनियम की धारा 12, 14, 16 और 28 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

वर्तमान में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन कंपनियों के आमेलन और पुनर्गठन से संबंधित हस्तान्तरण-पत्र पर स्टाम्प शुल्क रियायती दरों पर प्रभारित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क की रियायती दरों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44-क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार बैंककारी कंपनियों के आमेलन या पुनर्गठन पर भी लागू किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा (2) के खण्ड (xi) के उप-खण्ड (iv) और अनुसूची के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) और स्पष्टीकरण (ii) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची का अनुच्छेद 5 संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि स्थावर संपत्ति के विकास से संबंधित करारों पर उसी दर से स्टाम्प शुल्क के लिए उपबंध किया जाये जिस दर पर हस्तांतरण-पत्र का लिखत प्रभार्य है। करार का एक नया वर्ग, अर्थात् निर्माण, प्रचालन और अन्तरण (बीओटी) प्रणाली के अधीन परियोजनाओं से संबंधित करार को भी अनुच्छेद 5 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है जो अधिकतम एक सौ रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, संविदा में करार पायी रकम के 0.2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य होगा। तथापि, समान संपत्ति के संबंध में समान पक्षकारों के मध्य निष्पादित मुख्तारनामे पर अनुच्छेद 44 के खण्ड

(डडड) के अधीन यदि उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त कर दिया गया है तो इस अनुच्छेद के अधीन स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये होगा।

वर्तमान में, भागीदारी और भागीदारी के विघटन दोनों की लिखतें पांच सौ रुपये की दर से स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हैं। तथापि, भागीदारी के गठन और विघटन की प्रक्रिया में भागीदारों में स्थावर संपत्ति का अन्तरण, भागीदारों द्वारा शेयर अंशदान द्वारा या उनको शेयर विभाजन द्वारा होता है। भागीदारी के गठन या विघटन में अन्तर्वर्तित संपत्ति के अन्तरण और साथ ही साथ भागीदारी के गठन के समय भागीदार द्वारा किये गये शेयर अंशदान की रकम पर स्टाम्प शुल्क उद्घृहीत किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची का अनुच्छेद 43 संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

स्थावर संपत्ति के विकास या विक्रय या अन्तरण के लिए किसी संप्रवर्तक या विकासकर्ता को दिये गये मुख्तारनामे पर स्टाम्प शुल्क उसी दर, जिस पर, हस्तान्तरण-पत्र की लिखत प्रभार्य है, पर उद्घृहीत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 44 में एक नया खण्ड (डडड) जोड़ा जाना प्रस्तावित है। तथापि, जहां समान पक्षकारों के बीच और समान संपत्ति के संबंध में निष्पादित किसी करार या करार के ज्ञापन पर, अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त कर दिया गया है, वहां इस खण्ड के अधीन प्रभार्य शुल्क एक सौ रुपये होगा।

धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों और अन्य प्रयोजनों के संबंध में विभिन्न दरों पर व्यवस्थापन और व्यवस्थापन के प्रतिसंहरण की लिखत पर, स्टाम्प शुल्क उद्घृहीत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 51 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

ऐसे मामले में, जहां संपत्ति का कोई व्ययन न हो और धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए व्ययन के मामले में और अन्य प्रयोजनों के लिए व्ययन के मामले में विभिन्न दरों पर न्यास की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क उद्घृहीत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 56 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 48 और 50 उप-महानिरीक्षक, पंजीयन के समक्ष अपील का और उक्त अधिनियम की धारा 51 राज्य सरकार या

राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण का उपबंध करती है। पुनरीक्षण, मूल आदेश और अपील में पारित आदेश, दोनों के विरुद्ध फाइल किया जा सकता है। धारा 48 में यह उपबंध है कि अपील फाइल करने से पूर्व किसी निर्धारिती को कर की विवादग्रस्त रकम का आधा निक्षिप्त करना होता है। निर्धारिती, कर निक्षिप्त करने के उपबंध से बचने के लिए, अपील के अवसर का उपयोग किये बिना सीधे पुनरीक्षण फाइल करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारिती कर निक्षिप्त करने के उपबंध की और धारा 48 के अधीन अपील के अवसर की उपेक्षा न कर सकें, यह प्रस्तावित है कि द्वितीय अपील के लिए उपबंध करने के लिए पूर्वोक्त धारा 51 को संशोधित किया जाये। धारा 51 में संशोधन से धारा 42 में जो पारिणामिक संशोधन अपेक्षित है, वे भी प्रस्तावित है।

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 48 का परन्तुक उस धारा के अधीन अपील फाइल करने से पूर्व निर्धारित कर का आधा निक्षिप्त करने के लिए उपबंध करता है। यह शर्त दुर्भर प्रतीत होती है। इसलिए इस रकम को कम करके निर्धारित कर का पच्चीस प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, पूर्वोक्त परन्तुक को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल
महोदय की सिफारिश

[सं.प.12(15)वित्त/कर-अनु./2012 दिनांक 26.03.2012

प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान
विधानसभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधानसभा में पुनःस्थापित और प्रचलित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 की उप-धारा (4) प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है, राज्य सरकार को वह प्ररूप और रीति, जिसमें, किसी ऐसे व्यवहारी द्वारा, जो उक्त धारा के अधीन विवरणी फाइल करने का इच्छुक है, प्रतिभूति प्रस्तुत की जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 17, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 51 प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है, राज्य सरकार को वह रीति, जिसमें, उक्त धारा के अधीन फाइल की गयी कोई अपील प्रस्तुत और सत्यापित की जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003
(2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

22. कर निक्षिप्त करने में विफल रहने पर निर्धारण.- (1) जहां कोई व्यवहारी अधिसूचित कालावधि के भीतर-भीतर धारा 20 के उपबंधों के अनुसार कर निक्षिप्त करने में विफल रहा है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इस अधिनियम में के शास्तिक उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे और व्यवहारी को सुने जाने का कोई युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस कालावधि के लिए अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से कर निर्धारित करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित कर, आगत कर मुजरे और इस निमित्त अग्रिम रूप से निक्षिप्त की गयी रकम, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात्, व्यवहारी द्वारा, मांग के नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर संदेय होगा। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसी कालावधि को कम कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन निक्षिप्त कर सुसंगत कालावधि के लिए निर्धारण में समायोजित किया जायेगा।

XX

XX

XX

XX

24. निर्धारण.- (1) से (3) XX XX XX

(4) जहां धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण का विकल्प देने वाले व्यवहारियों से भिन्न कोई व्यवहारी धारा 21 के अधीन वार्षिक विवरणी, या धारा 73 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय के भीतर-भीतर फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(4क) जहां धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण का विकल्प देने वाला कोई व्यवहारी धारा 21 के अधीन वार्षिक विवरणी या धारा 73 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय के भीतर-भीतर फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के

आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(5) से (6)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

38. कर या मांग के संदाय के लिए दायित्व.- (1) से (3) XX XX

(4) जहां किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति ने किसी निर्धारण प्राधिकारी या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को कोई अपील फाइल की हो वहां उक्त अपील प्राधिकारी, ऐसी अपील को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् और अपीलार्थी और निर्धारण प्राधिकारी या अधिकारी या उसके किसी भी प्रतिनिधि की सुनवाई करने के पश्चात् कर या मांग की विवादग्रस्त रकम या उसके किसी भाग की वसूली को ऐसे आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के लिए या अपील का निपटारा किये जाने तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन रोक सकेगा कि उक्त निर्धारिती या व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत कर दे, जो विहित की जाये। तथापि, अपील प्राधिकारी, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रोक को उक्त छह मास की कालावधि के पश्चात् भी छह मास से अनधिक की और कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा:

परन्तु जहां रोक के लिए किसी आवेदन को उसके फाइल किये जाने से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर नहीं निपटाया जाता और देरी आवेदक के कारण नहीं हुई हो तो उसे इस शर्त के अध्यक्षीन स्वीकार किया हुआ समझा जायेगा कि ऐसा व्यवहारी या व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत कर दे, जो विहित की जाये:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी द्वारा इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित नहीं होगी।

(5) से (7)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

63. अवार्डरों पर शास्ति.- (1) XX XX XX

(2) संबंधित संविदाकार का निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन कर वसूल करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा।

XX XX XX XX

2. राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

16. विवरणियां.- (1) XX XX XX

(2) यदि किसी भी होटलवाले को उप-धारा (1) के अधीन विवरणी देने के पश्चात उसमें कोई लोप या गलत कथन होने का पता लगे तो वह ठीक अगली विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विहित समय के पूर्व एक पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा।

17. निर्धारण, परिशुद्धि और पुनर्निर्धारण.- (1) XX XX

(2) यदि विलास-कर अधिकारी को इस बात का समाधान हो जाये कि किसी रजिस्ट्रीकृत होटलवाले के द्वारा किसी भी कालावधि के संबंध में दी गयी विवरणियां सही और पूर्ण हैं तो वह होटलवाले से शोध्य कर की रकम ऐसी विवरणियों के आधार पर निर्धारित कर देगा।

(3) यदि विलास-कर अधिकारी को इस बात का समाधान नहीं हो कि किसी रजिस्ट्रीकृत होटलवाले के द्वारा किसी भी कालावधि के संबंध में दी गयी विवरणियां सही और पूर्ण हैं और वह होटलवाले की उपस्थिति या और साक्ष्य पेश कराना आवश्यक समझे तो वह ऐसे होटलवाले पर एक नोटिस उससे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर, हाजिर होने और ऐसा सारा साक्ष्य, जिस पर ऐसा होटलवाला अपनी विवरणियों के समर्थन में भरोसा करता हो, पेश करने या कराने की अथवा ऐसा साक्ष्य पेश करने की, जो कि नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, अपेक्षा करते हुए तामील करायेगा। नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को, या उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विलास-कर अधिकारी, ऐसे सारे साक्ष्य पर, जो कि पेश किया जाये, विचार करने के पश्चात् होटलवाले से शोध्य कर की रकम निर्धारित करेगा।

(4) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत होटलवाला उप-धारा (3) के अधीन जारी किये गये किसी भी नोटिस के निबंधनों का पालन करने में विफल रहता है तो विलास-कर अधिकारी उससे शोध्य कर की रकम अपने सर्वोत्तम विवेक से निर्धारित करेगा।

(5) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत होटलवाले के द्वारा किसी भी वर्ष की सभी विवरणियां फाइल कर दी जायें वहां उस वर्ष के सम्बन्ध में उप-धारा (3) या (4) के अधीन निर्धारण का कोई भी आदेश, उस वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष पश्चात् नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा आदेश किसी भी कारण से उक्त कालावधि के भीतर-भीतर न किया जाये तो इस प्रकार फाइल की गयी विवरणियां सही और पूर्ण मान ली जायेंगी तथा निर्धारण तद्वत् ही पूरा समझ लिया जायेगा:

परन्तु जहां इस अधिनियम के अधीन या उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील में किये गये किसी भी आदेश को ध्यान में रखते हुये कोई ताजा निर्धारण किया जाना हो वहां ऐसा निर्धारण विलास-कर अधिकारी के द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा में अधिकथित परीसीमा की किसी भी कालावधि की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जिसके की दौरान निर्धारण किसी भी सक्षम प्राधिकारी के या उच्च न्यायालय के अथवा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन रुका रहा:

परन्तु यह भी कि आयुक्त राजस्व के हित में और ऐसे कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, किसी भी कालावधि विशेष के लिए किसी भी विशिष्ट होटलवाले या होटलवालों के वर्ग-विशेष का निर्धारण न करने के निदेश जारी कर सकेगा और निर्धारण की कार्यवाही रोकने के ऐसे निदेश में समाविष्ट कालावधि इस उप-धारा में अधिकथित परीसीमा-कालावधि की संगणना करने में अपवर्जित कर दी जायेगी।

(6) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत होटलवाला किसी भी कालावधि के सम्बन्ध में विवरणी विहित तारीख तक नहीं भेजता है तो विलास-कर अधिकारी उस वर्ष की, जिसमें कि ऐसी कालावधि पडती है, समाप्ति से पांच वर्ष के भीतर-भीतर, होटलवाले को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् अपने सर्वोत्तम विवेक से, उससे शोध्य कर (यदि कोई हो) की रकम निर्धारित करने की कार्यवाही करेगा।

(7) से (10)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

3. राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999

(1999 का अधिनियम सं. 13) से लिए गये उद्धरण

XX XX XX XX

12. विवरणियां और निर्धारण.- (1) से (2) XX XX XX

(3) यदि निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत कोई भी विवरणी सही और पूर्ण है तो वह उस व्यवहारी का उसके आधार पर निर्धारण करेगा।

(4) यदि व्यवहारी द्वारा विहित कालावधि के पूर्व उप-धारा (1) के अधीन कोई भी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है या यदि उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणी निर्धारण प्राधिकारी को गलत या अपूर्ण प्रतीत हो तो वह उस व्यवहारी का निर्धारण ऐसे निर्धारण के लिए कारण अभिलिखित करते हुए अपने सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से करेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व, व्यवहारी को अपने द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणी का सही और पूर्ण होना साबित करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(5) XX XX XX

(6) इस धारा के अधीन किसी भी वर्ष के लिए कोई भी निर्धारण उस तारीख से, जिसको उस वर्ष के लिए किसी व्यवहारी द्वारा विवरणी प्रस्तुत की गयी थी, तीन वर्ष की कालावधि के पश्चात् नहीं किया जायेगा:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट, कोई भी बात, जो उस समय को, जिसके दौरान कि निर्धारण किया जा सकेगा, सीमाबद्ध करे, धारा 23, 24 या 26 के अधीन दिये गये किसी निष्कर्ष, निदेश या आदेश के या किसी भी न्यायालय द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय या किये गये आदेश के परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए ऐसे निर्धारिती या किसी भी व्यक्ति पर किये गये किसी निर्धारण पर लागू नहीं होगी।

(7) से (9) XX XX XX

XX XX XX XX

14. संक्षिप्त निर्धारण.- (1) धारा 12 की उप-धारा (3) और (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यवहारी के मामले में, निर्धारण प्राधिकारी, स्वविवेक से, परन्तु उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्याधीन, ऐसे व्यवहारी का निर्धारण, उसकी

उपस्थिति या लेखा बहियां पेश किये जाने की अपेक्षा किये बिना, मूल विवरणी या, यथास्थिति, पुनरीक्षित विवरणी के आधार पर कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) प्रयोजनों के लिए, इस धारा के उपबंधों के अधीन संक्षिप्त निर्धारण का पात्र व्यवहारी,-

- (क) 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में, अपने निर्धारण प्राधिकारी को, धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन अपने पण्यवर्त से संबंधित साठ दिन की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तुत करेगा;
- (ख) पश्चातवर्ती लेखा वर्षों के संबंध में, अपने निर्धारण प्राधिकारी को धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन अपने पण्यवर्त से संबंधित विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी में उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट संलग्नक भी होंगे:

परन्तु यह और कि उस व्यवहारी के संबंध में, जो इस धारा की अपेक्षाओं के अनुसार अपने कारबार के किसी पूर्ण हुए वर्ष से संबंधित पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करता है, धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन कोई भी शास्ति उद्घृहित नहीं की जायेगी और न ही धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (च) के अधीन कोई अभियोजन संस्थित किया जायेगा या जारी रखा जायेगा।

(3) किसी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी के साथ ऐसे संलग्नक होंगे जो विहित किये जायें।

(4) इस धारा के अधीन संक्षिप्त निर्धारण किसी व्यवहारी के संबंध में किसी वर्ष के लिए, नहीं किये जायेंगे, यदि,-

- (क) धारा 12 के अधीन उसका निर्धारण, निर्धारण वर्ष के प्रारंभ से ठीक पूर्व बारह मास से अन्यून की कालावधि के लिए नहीं किया गया है और ऐसे निर्धारण के संबंध में अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां निपटारे के लिए लंबित हैं;
- (ख) व्यवहारी का निर्धारण, इस धारा के अधीन निर्धारण के वर्ष के ठीक पूर्व के तीन वर्षों की कालावधि के लिए सतत् रूप से पूर्ण कर लिया गया है;
- (ग) इस अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन कार्यवाहियां, जिनमें माल के किसी भी कराधेय क्रय मूल्य या कर दायित्व को छिपाया

जाना अन्तर्वलित है, वर्ष के लिए व्यवहारी के संबंध में प्रारम्भ की गयी है या पूरी कर ली गयी है या अंतिम रूप दिये जाने के लिए लंबित है; और

- (घ) कार्यवाहियां, जिनमें उसके संबंध में निर्धारण के वर्ष के ठीक पूर्व के तीन वर्षों में से किसी के लिए भी कर के दायित्वाधीन माल के किसी भी कराधेय क्रय मूल्य को छिपाना अन्तर्वलित है, अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन ऐसे पूरी की गयी हों जिसका परिणाम ऐसे किसी भी वर्ष के लिए धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन फाइल की गयी विवरणी में घोषित कर के दायित्व से अधिक कर का दायित्व हो।

XX

XX

XX

XX

16. कर का अग्रिम संदाय.- (1) ऐसे नियमों के अध्यक्षीन, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जायें, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, निर्धारण प्राधिकारी को, ऐसी विशिष्टियां जैसी विहित की जायें, अन्तर्विष्ट करते हुए एक विवरण प्रति मास भेजेगा और स्थानीय क्षेत्र में पूर्ववर्ती मास के दौरान उसके द्वारा लाये गये माल के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर की पूरी रकम का अग्रिम संदाय करेगा और इस प्रकार संदेय रकम इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यवहारी से शोध्य रकम समझी जायेगी।

(2) यदि वर्ष के अंत में यह पाया जाये कि किसी व्यवहारी द्वारा किसी भी मास या पूरे वर्ष के लिए अग्रिम संदत्त कर की रकम कुल मिलाकर उस मास के लिए संदेय कर या, यथास्थिति, पूरे वर्ष के लिए अंतिम रूप से यथा-निर्धारित कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक कम थी तो निर्धारण प्राधिकारी, ऐसे व्यवहारी को कर के अतिरिक्त उस रकम के जिससे इस प्रकार संदत्त कर की रकम मास या सम्पूर्ण वर्ष के लिए संदेय कर की रकम से कम पड़ती है, डेढ़ गुने से अनधिक राशि शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि प्रभावित व्यवहारी को ऐसे अधिरोपण के विरुद्ध कारण दर्शित करने का कोई युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा ऐसा कोई भी विवरण विहित तारीख के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाये या उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण निर्धारण प्राधिकारी को गलत या अपूर्ण प्रतीत हो, तो निर्धारण प्राधिकारी अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से उस व्यवहारी का उस मास के लिए अनन्तिम रूप से निर्धारण, ऐसे

निर्धारण के लिए कारण अभिलिखित करते हुए कर सकेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर कर की मांग और संग्रहण के लिए अग्रसर हो सकेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करने के पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

XX

XX

XX

XX

28. गलतियां की परिशुद्धि.- (1) अभिलेख से प्रकट किसी भी गलती को परिशुद्ध करने की दृष्टि से निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी, उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश की तारीख से पांच वर्ष के भीतर-भीतर ऐसे आदेश को किसी भी समय संशोधित कर सकेगा:

परन्तु यह है कि निर्धारण में वृद्धि करने या निर्धारिती के दायित्व को अन्यथा बढ़ाने के आशय का कोई संशोधन, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात न कर दिया गया हो।

(2) से (3)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

4. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,-

(i) से (x)

XX

XX

XX

(xi) "हस्तान्तरण-पत्र" के अंतर्गत,-

(i) कोई विक्रय हस्तान्तरण,

(ii) प्रत्येक लिखित,

(iii) किसी भी सिविल न्यायालय की प्रत्येक डिक्री या अन्तिम आदेश,

(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश,

(v) वायु अधिकारों का विक्रय,

(vi) सतह के नीचे के अधिकारों से संबंधित विक्रय/सहमति है जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर, या किसी भी सम्पदा या किसी भी सम्पत्ति में का हित, किसी भी अन्य व्यक्ति को, जो जीवित हो, अन्तरित या उसमें निहित किया जाये और जिसके लिए अनुसूची द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो;

(xii) से (xxxvi)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	1	2
1. से 4. तक	XX	XX

5. करार या करार का ज्ञापन,-

- (क) यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित है; दस रुपये।
- (ख) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर के विक्रय से संबंधित है; दो सौ रुपये के स्टाम्प शुल्क से अधिक न होते हुए, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये।
- (खख) यदि वह किसी स्थावर संपत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित है जब न तो कब्जा दिया गया हो और न ही कब्जा देने का करार किया गया हो। करार या करार के ज्ञापन में यथा-उपवर्णित संपत्ति के कुल प्रतिफल का तीन प्रतिशत:
परन्तु ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे करार के अनुसरण में हस्तान्तरण-पत्र के निष्पादन के समय हस्तान्तरण-पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति बाद में समायोजित किया

- जायेगा, यदि ऐसा हस्तान्तरण-विलेख करार की तारीख से तीन वर्ष के भीतर-भीतर निष्पादित किया जाये।
- (खखख) यदि वह किसी बैंक या वित्तीय कंपनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित है। उधार या ऋण की रकम का 0.1 प्रतिशत।
- (खखखख) यदि वह किसी भी स्थावर संपत्ति पर संनिर्माण या उसके विकास के लिए किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता को प्राधिकार या शक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, देने से संबंधित है; संपत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत।
- (ग) यदि उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। एक सौ रुपये।

छूटें:

करार या करार का ज्ञापन,-

- (क) जो अनन्यतः माल का वाणिज्य के विक्रय के लिए है या उससे संबंधित है और सं. 40 के अधीन प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं है;
- (ख) जो सरकार को किन्ही ऐसे निविदाओं के रूप में किये गये हैं जो किसी उधार के लिए या उससे संबंधित हैं।

6 से 20. XX XX XX

21. धारा 2(xi) द्वारा यथा-परिभाषित हस्तान्तरण पत्र,-

- (i) यदि स्थावर संपत्ति से संबंधित हो। संपत्ति के बाजार मूल्य का ग्यारह प्रतिशत।
- (ii) यदि जंगम, सम्पत्ति से संबंधित हो। संपत्ति के बाजार मूल्य का आधा

(0.5) प्रतिशत

- (iii) यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 1) की धारा 394 के अधीन आदेशों से संबंधित हो। संपत्ति के बाजार मूल्य का दस प्रतिशत

छूटें:-

भारतीय प्रतिलिप्याधिकारी अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 14) के अधीन की गयी प्रविष्टि द्वारा प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन।

स्पष्टीकरण:- (i) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के करार या अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे या हस्तान्तरण-पत्र, या पट्टे यथा आबण्टन-पत्र, पट्टा, अनुज्ञप्ति आदि, के अनुक्रम में निष्पादित किसी भी अन्य लिखत को ऐसी लिखत के निष्पादन के पूर्व, निष्पादन के समय या उसके पश्चात् ऐसी संपत्ति के कब्जे के अंतरण के मामले में हस्तान्तरण-पत्र समझा जायेगा और उस पर तदनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा:

परन्तु धारा 51 के उपबंध ऐसे करार या मुख्तारनामे या लिखतों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी हस्तान्तरण-पत्र को लागू होते हैं:

परन्तु यह और कि ऐसे करार या मुख्तारनामे या लिखत पर पहले ही संदत्त स्टाम्प शुल्क को ऐसी लिखत के अनुसरण में, किसी हस्तान्तरण-पत्र या पट्टे के पश्चात्वर्ती निष्पादन के समय उस हस्तान्तरण-पत्र या पट्टे पर प्रभार्य शुल्क की रकम के प्रति समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:- (ii) खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए संपत्ति का बाजार-मूल्य हस्तान्तरिती कंपनी द्वारा

या तो विनिमय के रूप में या अन्यथा निर्गमित या आवंटित शेयरों के कुल मूल्य कर रकम और ऐसे आमेलन के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम यदि कोई हो, को समझा जायेगा।

22. से 42.	XX	XX	XX
43.(क) भागीदारी की लिखत			पांच सौ रुपये।
(ख) भागीदारी का विघटन			पांच सौ रुपये।
44. मुख्तारनामा:- धारा 2(XXX) में यथापरिभाषित मुख्तारनामा जो परोक्षी नहीं है,-			
(क) जब वह एक ही संव्यवहार में संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एक मात्र प्रयोजन के लिए या ऐसी एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है;			पचास रुपये।
(ख) जब वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को खण्ड (क) में वर्णित मामले से भिन्न किसी एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;			पचास रुपये।
(ग) जब वह पांच से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः और पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;			एक सौ रुपये।
(घ) जब वह पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः और पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;			एक सौ रुपये।
(ङ) जब वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अटर्नी को किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करता है;			वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम के हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(डड) जब स्थावर संपत्ति का अन्तरण या विक्रय करने के लिए मुख्तारनामा प्रतिफल के बिना			

निम्नलिखित को दिया जाता है,-

- (i) निष्पादी के माता, पिता, भाई, बहिन, दो हजार रुपये
पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पौत्री।
- (ii) कोई भी अन्य व्यक्ति।

ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, जो मुख्तारनामे की विषयवस्तु है:

परन्तु ऐसे मुख्तारनामे पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में हस्तान्तरण-पत्र के निष्पादन के समय बाद में हस्तान्तरण-पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति समायोजित की जायेगी यदि ऐसा हस्तान्तरण विलेख मुख्तारनामे की तारीख से तीन वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाता है; प्राधिकृत किये गये प्रति व्यक्ति के लिए पचास रुपये।

(च) अन्य किसी मामले में।

भली भांति ध्यान दें:

"रजिस्ट्रीकरण" पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है, जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषांगिक है।

स्पष्टीकरण.- एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत, उस दिशा में जिसमें की वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति हैं।

45. से 50. XX XX XX

51. व्यवस्थापन-

(क) व्यवस्थापन की लिखत वही शुल्क जो व्यवस्थापित संपत्ति की रकम या

जिसके अन्तर्गत महर विलेख है।

मूल्य के, जो उस व्यवस्थापन लिखत में उपवर्णित है, बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है:

परन्तु जहां कि व्यवस्थापन के लिए करार व्यवस्थापन की लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन संबंधी लिखत बाद में निष्पादित की गयी है वहां ऐसी लिखत पर शुल्क दस रुपये से अधिक नहीं होगा।

छूट:

विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया महर विलेख।

(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण

वही शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य के, जो प्रतिसंहरण लिखत में उपवर्णित है, बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।

52. से 55.

XX

XX

XX

56. न्यास,-

(क) की घोषणा किसी संपत्ति की या उसके बारे में जबकि विल से भिन्न लिखित रूप में की गयी हो।

वहीं शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य के, बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु वह साठ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ख) का प्रतिसंहरण किसी संपत्ति का या उसके बारे में जबकि वह विल से भिन्न किसी लिखत के

वहीं शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य के, बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु वह पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।

57. से 58.

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

5. राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

42. निर्धारण सूची को अंतिम रूप देना.- (1) जहां अनंतिम निर्धारित सूची में वर्णित किसी भूमि के संबंध में धारा 41 के उपबंधों के अनुसार कोई आक्षेप फाइल नहीं किया जाता वहां, सूची में ऐसी भूमि के संबंध में की प्रविष्टियों को अंतिम माना जायेगा।

(2) जहां अनंतिम निर्धारण सूची में वर्णित भूमि के संबंध में धारा 41 के उपबंधों के अनुसार कोई आक्षेप फाइल किया जाता है तो वहां निर्धारण प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को सुनवाई और साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आक्षेपों का विनिश्चय करेगा और अनंतिम निर्धारण सूची में ऐसी भूमि के संबंध में प्रविष्ट को पुष्ट, पुनरीक्षित या उपान्तरित करेगा।

(3) तत्पश्चात् अनंतिम निर्धारण सूची निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित की जायेगी और धारा 43 या धारा 44 के अधीन या धारा 48 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी पुनरीक्षण के कारण किये गये किसी भी संशोधन, परिवर्धन, शुद्धि या उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए अंतिम मानी जायेगी। इस प्रकार अंतिम की गयी सूची ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रकाशित और उपलब्ध करवायी जायेगी।

(4) इस प्रकार अंतिम की गयी सूची, धारा 43 या धारा 44 के अधीन या धारा 48 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी पुनरीक्षण के कारण किये जाने वाले किसी संशोधन, परिवर्धन, शुद्धि या उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए उस तारीख, जिसको यह अंतिम की गयी थी, के पश्चात् की 1 अप्रैल से प्रभावी और प्रवृत्त होगी और ऐसे समय तक, जब तक नयी सूची तैयार की जाये और प्रवृत्त हो, प्रवृत्त रहेगी:

परन्तु इस अध्याय के प्रवर्तन के पश्चात् प्रथम बार अंतिम की गयी सूची, ऐसी तारीख से प्रभावी होगी और प्रवृत्त हुई समझी जायेगी जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे।

(5) निर्धारण प्राधिकारी, धारा 40, 41 और इस धारा की उप-धारा (1) से (4) में अधिकथित रीति से प्रत्येक पांच वर्ष में या उसके पूर्व भी कोई नयी सूची तैयार कर सकेगा बशर्ते राज्य सरकार ऐसी वांछा करे।

XX

XX

XX

XX

48. अपीलें.- (1) धारा 42, 43 या 44 के अधीन के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि निर्धारित और अपील करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय कर के आधे से अधिक अन्यून के संदाय का समाधानप्रद सबूत उसके साथ न लगा हो।

(2) अपील प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस कालावधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।

(3) इस धारा के अधीन की प्रत्येक अपील विहित रीति से पेश और सत्यापित की जायेगी।

(4) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और आदेश की एक प्रति निर्धारण प्राधिकारी और ऐसे अन्य व्यक्तियों को भेजेगा जो विहित किये जायें।

(5) निर्धारण सूची, जहां आवश्यक हो, अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार उपांतरित की जायेगी।

XX

XX

XX

XX

51. पुनरीक्षण.- राज्य सरकार या ऐसा अन्य अधिकारी, जो उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाये, स्वप्रेरणा से या किये गये आवेदन पर इस अध्याय के अधीन किसी भी प्राधिकारी की कार्यवाहियों या आदेश का अभिलेख ऐसी कार्यवाही या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगा और उसके प्रति निर्देश से ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो।

XX

XX

XX

XX

Confidential

Bill No. 4 of 2012

(Authorized English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2012
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Finance Act, 2006, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2012-13 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2012.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 13 and 14 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT,
2003

3. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing section 22 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“22. Assessment on failure to deposit tax or submit return or audit report.- (1) Where a dealer has failed to deposit tax in accordance with the provisions of section 20 within the notified period or has failed to submit a return in accordance with the provisions of section 21, or an audit report in accordance with the provisions of section 73, within the prescribed period, the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner shall, without prejudice to the penal provisions in this Act, after making such enquiry as it may consider necessary and after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, assess tax for that period to the best of his judgment.

(2) The tax assessed in sub-section (1), after adjustment of input tax credit and the amount deposited in advance in this behalf, if any, shall be payable by the dealer within thirty days from the date of service of the notice of demand. However, the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, after recording reasons in writing, may reduce such period.

(3) The tax deposited under sub-section (2) shall be adjusted in the assessment for the relevant period.

(4) No order under this section shall be passed after the expiry of nine months from the end of the period for which the tax has not been deposited or, as the case may be, from the last date of submission of return or audit report which has not been submitted.”.

4. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- The existing sub-sections (4) and (4A) of section 24 of the principal Act shall be deleted.

5. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (4) of section 38 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(4) Where a dealer or a person has filed an appeal to the Appellate Authority against an order passed by an assessing authority or any other officer, the said Appellate Authority may, after registering such appeal and after having heard the appellant and the assessing authority or officer or any representative thereof, stay the recovery of the disputed amount of tax or demand or any part thereof for a period of one year from the date of such order or till the disposal of the appeal, whichever is earlier, on the condition that the said dealer or the person furnishes sufficient security to the satisfaction of the assessing authority or the officer, as the case may be, in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that where an application for stay is not disposed of within a period of thirty days from its filing and the delay is not attributable to the applicant, the same shall be deemed to have been accepted subject to the condition that such dealer or person furnishes sufficient security to the satisfaction of the assessing authority or the officer, as the case may be, in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided further that no security under this section shall be required to be furnished by a department of the Central Government or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government.”.

6. Amendment of section 63, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (2) of section 63 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(2) Any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorized by the Commissioner shall be empowered to recover tax and impose penalty under sub-section (1).”.

CHAPTER III
AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN
HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

7. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 1996.-The existing sub-section (2) of section 16 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, shall be deleted.

8. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In section 17 of the principal Act,-

- (i) for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) Every return furnished by a registered hotelier shall be subject to such scrutiny, as may be determined by the Commissioner, to verify its correctness and if the annual return for the year has been filed within the prescribed time and-

- (i) no error is detected, the hotelier shall be deemed to have been assessed for that year on the basis of such return;
- (ii) any error is detected, the Luxury Tax Officer shall serve a notice in the prescribed form on the hotelier to rectify the errors and file a revised return within such period as may be specified therein and if the hotelier furnishes a revised return in terms of the notice and deposits the tax, if any, he shall be deemed to have been assessed for that year on the basis of such revised return.”;
- (ii) the existing sub-section (3) shall be deleted;
- (iii) in sub-section (4), for the existing expression “sub-section (3)”, the expression “clause (ii) of sub-section (2)” shall be substituted;
- (iv) for the existing sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

“(5) Where all the returns are filed by a registered hotelier for any year, no order of assessment under sub-section (4) in respect of that year shall be made after the expiry of two

years from the end of the said year or within one year from the commencement of the Rajasthan Finance Act, 2012 (Act No. ... of 2012), whichever is later, and if for any reason such order is not made within the period aforesaid, then the returns so filed shall be deemed to have been accepted as correct and complete and the assessment shall be deemed completed accordingly:

Provided that where a fresh assessment is to be made in view of any order made in appeal under this Act or by the High Court or Supreme Court such assessment shall be made within two years from the date of the receipt of such order by the Luxury Tax Officer:

Provided further that in computing any period of limitation laid down in this sub-section, the time during which the assessment remained stayed under the orders of any competent authority or of the High Court or of the Supreme Court shall be excluded:

Provided also that the Commissioner may, in the interest of the revenue and for reasons to be recorded in writing, issue directions not to proceed with the assessment of any particular hotelier or class of hotelier for any particular period and the period covered by such direction to stay the assessment proceeding shall be excluded in computing the period of limitation laid down in this sub-section.”; and

- (v) for the existing sub-section (6), the following shall be substituted, namely:-

“(6) If a registered hotelier does not furnish return in respect of any period by the prescribed date, the Luxury Tax Officer shall, at any time within two years from the end of the year in which such period occurs or within one year from the commencement of the Rajasthan Finance Act, 2012 (Act No. ... of 2012), whichever is later, after giving the hotelier a reasonable opportunity of being heard, proceed to assess to the best of his judgment the amount of the tax, if any, due from him.”.

CHAPTER-IV
AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF
GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

9. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In section 12 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) Every return furnished by a registered dealer shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Commissioner, to verify its correctness and if any error is detected, the assessing authority shall serve a notice in the prescribed form on the dealer to rectify the errors and file a revised return within such period as may be specified therein. Where in pursuance of the notice issued under this sub-section, the dealer furnishes the revised return in terms of the notice and deposits the tax, if any, he shall be deemed to have been assessed under sub-section (1) of section 14, on the basis of the revised return.

(3A) Where in pursuance of the notice issued under sub-section (3), the dealer does not file revised return or the return filed by the dealer is not in terms of the notice, the assessing authority shall assess the dealer to the best of his judgment on the basis of material available on record.”;

- (ii) for the existing sub-section (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) If no return is submitted by the dealer under sub-section (1) within the period prescribed or the dealer has failed to deposit tax in accordance with section 17 within the prescribed time, the assessing authority shall assess the dealer to the best of his judgment:

Provided that before taking action under this sub-section, the dealer shall be given reasonable opportunity of being heard.”; and

(iii) in sub-section (6), for the existing expression “three years from the date on which return for that year is submitted by a dealer”, the expression “two years from the end of the relevant year or within one year from the commencement of the Rajasthan Finance Act, 2012 (Act No. ... of 2012), whichever is later, however, the commissioner may for reasons to be recorded in writing extend in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months” shall be substituted.

10. Amendment of section 14, Rajasthan Act No. 13 of 1999.-For the existing section 14 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“14. Self Assessment.- (1) Every registered dealer who has filed annual return for the year within the prescribed time shall, subject to the provisions of section 12, be deemed to have been assessed for that year on the basis of annual return filed.

(2) The list of the registered dealers assessed under sub-section (1) may be published through electronic or print media and such publication shall be deemed to be due intimation to such dealers wherever required.”.

11. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- The existing section 16 of the principal Act shall be deleted.

12. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In sub-section (1) of section 28 of the principal Act, for the existing expression “five years from the date of any order passed by it”, the expression “four years from the date of any order passed by it or within one year from the commencement of the Rajasthan Finance Act, 2012 (Act No. ... of 2012), whichever is later.” shall be substituted.

CHAPTER V

AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

13. Amendment of section 2, the Rajasthan Act No. 14 of 1999.-

For the existing sub-clause (iv) of clause (xi) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(iv) every order made under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) and section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949);”.

14. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) for the existing Article 5, the following shall be substituted, namely:-

“5. Agreement or memorandum of an agreement-

- | | |
|--|---|
| (a) if relating to the sale of a bill of exchange; | Ten rupees. |
| (b) if relating to the sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate; | Subject to a maximum of two hundred rupees, ten rupees for every Rs. 10,000/- or part thereof, of the value of the security or share. |
| (c) if relating to purchase or sale of an immovable property, when possession is neither given nor agreed to be given; | Three per cent of the total consideration of the property as set forth in the agreement or memorandum of an agreement: |

Provided that the stamp duty paid on such agreement shall at the time of execution of a conveyance in pursuance of such agreement subsequently be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance if

- such conveyance deed is executed within three years from the date of agreement.
- (d) if relating to secure the repayment of a loan or debt made by a bank or Finance Company; 0.1% of the amount of loan or debt.
- (e) if relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property; The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of the property:
 Provided that the provisions of section 51 shall, *mutatis mutandis*, apply to such agreement or memorandum of an agreement as they apply to an instrument under that section:
 Provided further that if the proper stamp duty is paid under clause (eee) of Article 44 on a power of attorney executed between the same parties in respect of the same property then, the stamp duty under this Article shall be one hundred rupees.
- (f) if relating to project under Built, Operate and Transfer (BOT) system, whether with or without toll or fee collection rights; 0.2 per cent on the amount agreed in the contract subject to minimum of one hundred rupees.
- (g) if not otherwise provide for; One hundred rupees.
- Exemption:** Agreement or memorandum of agreement-
- (a) for or relating to the sale of goods or merchandise

exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No. 40;

(b) made in the form of tenders to the Government for or relating to any loan.”;

(ii) in clause (iii) of Article 21, for the existing expression “if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956)”, the expression “if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949)” shall be substituted;

(iii) in Explanation (ii) of Article 21, for the existing expression “paid for such amalgamation”, the expression “paid for such amalgamation or reconstruction, as the case may be” shall be substituted;

(iv) for the existing Article 43, the following shall be substituted, namely:-

“43. Partnership-

(1) Instrument of partnership,-

- | | |
|--|---|
| (a) where there is no share contribution in partnership or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs. 50,000/-; | Five hundred rupees. |
| (b) where such share contribution brought in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-, for every Rs.50,000/- or part thereof; | Five hundred rupees, subject to maximum duty of rupees five thousand. |
| (c) where such share contribution is brought in by way of immovable property. | The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property. |

(2) Dissolution of partnership or retirement of partner,-

(a) where on a dissolution of the partnership or on retirement of a partner any property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the partnership; The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property, subject to a minimum of rupees one hundred.

(b) in any other case. Five hundred rupees.”;

(v) after the existing clause (ee) and before the existing clause (f) of Article 44, the following shall be inserted, namely:-

“(eee) when given to promoter or developer by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property. The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of the property:
Provided that the provisions of section 51 shall, *mutatis mutandis*, apply to such an instrument of power of attorney as they apply to a conveyance under that section:

Provided further that when proper stamp duty is paid under clause (e) of Article 5 on an agreement or memorandum of an agreement executed between the same parties and in respect of the same property, the duty chargeable under this clause shall be rupees one hundred.”;

(vi) for the existing Article 51, the following shall be substituted, namely:-

“51. Settlement-

(A) Instrument of, including a deed of dower,-

(i) where the settlement is The same duty as on Bond (No.

made for a religious or charitable purpose;

(ii) in any other case,-

14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled.

(i) in respect of immovable property, the same duty as on Conveyance (No. 21(i)) for a sum equal to the market value of the immovable property settled; and

(ii) in respect of other property or amount, the same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled:

Provided that where an agreement to settle is stamped with the stamp required, for an instrument of settlement and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed One hundred rupees:

Provided further that where an instrument of settlement contains any provision for the revocation of the settlement, the amount or the value of the property settled shall, for the purposes of duty, be determined, as if no such provisions were contained in the instrument.

Exemption: Deed of dower executed on the occasion of or in connection with, marriage between Mohammedans, executed before or after the

marriage.

(B) Revocation of,-

(i) in respect of settlement described in sub-clause (i) of clause (A);

The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property concerned as set forth in the instrument of revocation, but not exceeding fifty rupees.

(ii) in respect of settlement described in sub-clause (ii) of clause (A).

(i) in respect of immovable property, the same duty as on Conveyance (No. 21(i)) for a consideration equal to the market value of the immovable property concerned, and

(ii) in respect of other property or amount, the same duty as on Bond (No. 14) for a consideration equal to the amount settled in the instrument of revocation or the market value of the property concerned,

but not exceeding five thousand rupees.”; and

(vii) for the existing Article 56, the following shall be substituted, namely:-

“56. Trust-

(A) Declaration of- of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will,-

(a) where there is disposition of property,-

(i) where the Trust is made for a religious or charitable

The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the

- | | |
|--|--|
| <p>purpose;</p> <p>(ii) in any other case.</p> | <p>property settled.</p> <p>(i) in respect of immovable property, the same duty as on Conveyance (No. 21(i)) for a sum equal to the market value of the immovable property settled; and</p> <p>(ii) in respect of other property or amount, the same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled.</p> |
| <p>(b) Where there is no disposition of property.</p> | <p>The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding sixty rupees.</p> |
| <p>(B) Revocation of, or concerning, any property when made by any instrument other than a Will.</p> | <p>The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding fifty rupees.”.</p> |

CHAPTER VI

AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2006

15. Amendment of section 42, Rajasthan Act No. 4 of 2006.- In section 42 of the Rajasthan Finance Act, 2006 (Act No. 4 of 2006), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) in sub-section (3), for the existing expression "any appeal under section 48, for any revision under section 51", the expression "any appeal under section 48 or section 51" shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (4), for the existing expression "any appeal under section 48, or of any revision under section 51", the expression "any appeal under section 48 or section 51" shall be substituted.

16. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 4 of 2006.- In proviso to sub-section (1) of section 48 of the principal Act, for the existing expression "payment of not less than one half of the tax assessed", the expression "payment of twenty five per cent of the tax assessed" shall be substituted.

17. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 4 of 2006.- For the existing section 51 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“51. Appeal to Rajasthan Tax Board.- (1) An appeal shall lie to the Rajasthan Tax Board constituted under section 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) against an order passed under section 48 or 50 within a period of sixty days from the date of the order sought to be appealed against.

(2) The Rajasthan Tax Board may admit an appeal after the expiry of the period referred to in sub-section (1), if it is satisfied that there was sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) Every appeal under this section shall be presented and verified in the manner prescribed.

(4) The Rajasthan Tax Board may, after affording an opportunity of being heard to the parties, pass such order on the appeal as it thinks fit.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Section 22 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides for assessment in case of failure to deposit tax in accordance with the provisions of section 20 of the Act and section 21 of the Act provides for furnishing of return by registered dealers. Some dealers do not file their return over a long period of time because of which their tax liability could not be assessed. Therefore, to ensure the timely collection of tax and statistics it is proposed to assess the dealers, who failed to furnish their return within the prescribed time, to the best of judgment of assessing authority. Accordingly suitable amendments are proposed to be made in section 22 and section 24 of the said Act.

Section 38 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides for grant of stay by Deputy Commissioner (Appeals) for a period of six months which may further be extended for next six months. While granting stay a dealer is required to furnish security for the payment of disputed amount. When dealer applies for extension of the stay he has to furnish security once again. To relieve the dealers from the burden of preparing documents for security twice, it is proposed to empower the Deputy Commissioner (Appeals) to grant stay for a period of one year in one time. Accordingly, sub-section (4) of section 38 of the said Act is proposed to be amended.

Sub-section (2) of section 63 empowers the assessing authority of the contractor to recover tax and impose penalty on awarder. Since a single awarder awards a number of works contracts, which gives jurisdiction to all assessing authorities of the contractors to levy tax and penalty on the awarder. In order to avoid this overlapping of jurisdiction and duplication of efforts, provisions of section 63 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 are proposed to be amended suitably.

THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

In order to make certain provisions of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 at par with the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the provisions of sections 16 and 17 of this Act are proposed to be amended.

THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

In order to make certain provisions of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 at par with the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the provisions of sections 12, 14, 16 and 28 of this Act are proposed to be amended.

THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

At present stamp duty is charged on conveyance relating to amalgamation and reconstruction of companies under the order of the High Court under section 394 of the Companies Act, 1956 at concessional rates. It is proposed to apply the concessional rates of stamp duty also to the amalgamation or reconstruction of the banking companies as ordered by the Reserve Bank of India under section 44A of the Banking Regulation Act, 1949. Accordingly, sub-clause (iv) of clause (xi) of section 2 and clause (iii) and Explanation (ii) of Article 21 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 are proposed to be amended.

Article 5 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended so as to provide for the rate of stamp duty on agreements relating to development of immovable property on the same rate on which an instrument of conveyance is chargeable. A new category of agreement i.e. the agreement relating to projects under the system of Built, Operate and Transfer (BOT) is also proposed to be included in Article 5 which shall be chargeable to stamp duty at the rate of 0.2 percent of the

amount agreed in the contract subject to minimum of Rs.100. However, if the proper stamp duty is paid under clause (eee) of Article 44 on a power of attorney executed between the same parties in respect of the same property then, the stamp duty under this Article shall be one hundred rupees.

At present both the instruments of partnership and dissolution of partnership are chargeable for stamp duty at the rate Rs.500. However, in the process of constitution and dissolution of partnership transfer of immovable property takes place by way of share contribution by, or share distribution to, the partners. It is proposed to levy stamp duty on the transfer of property involved in the constitution or dissolution of the partnership as well as the amount of share contribution made by the partner at the time of constitution of partnership. Accordingly, Article 43 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended.

A new clause (eee) is proposed to be added in Article 44 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 to levy stamp duty on the power of attorney given to a promoter or developer for development or sale or transfer of immovable property at the rate on which an instrument of conveyance is chargeable. However, where proper stamp duty is paid under clause (e) of Article 5 on an agreement or memorandum of an agreement executed between the same parties and in respect of the same property, the duty chargeable under this clause shall be rupees one hundred.

Article 51 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to levy stamp duty on the instrument of settlement and revocation of settlement at different rates in respect of religious and charitable purposes and other purposes.

Article 56 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to levy stamp duty on the instruments of Trust at different rates in case there is no disposition of property and in case disposition is for religious and charitable purposes and in case disposition is for other purposes.

THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2006

Sections 48 and 50 of the Rajasthan Finance Act, 2006 provide for appeal before Deputy Inspector General of Registration and section 51 of the said Act provides for Revision before State Government or Rajasthan Tax Board. Revision may be filed both against original order and the order passed in an appeal. There is a provision in section 48 that before filing appeal, an assessee has to deposit half of the disputed amount of tax. To bypass the provision of deposit of tax, assessee directly file revision without availing the opportunity of appeal. To ensure that assessee may not bypass the provision of deposit of tax and the opportunity of appeal under section 48, it is proposed that the aforesaid section 51 be amended to provide for second appeal. Amendment of section 51 requires consequential amendments in section 42 which are also proposed.

Proviso to section 48 of the Rajasthan Finance Act, 2006 provides for deposit half of the tax assessed before filing appeal under that section. This condition appears onerous. Therefore, this amount is proposed to be reduced to twenty five per cent of the tax assessed. Accordingly, aforesaid proviso is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोट,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल
महोदय की सिफारिश

[सं.प.12(15)वित्त/कर-अनु./2012 दिनांक 26.03.2012प्रेषक: श्री अशोक
गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 5 of the Bill, which seeks to substitute sub-section (4) of section 38 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe the form and manner in which security shall be furnished by a dealer who seeks to file appeal under said section.

Clause 17 of the Bill, which seeks to substitute section 51 of the Rajasthan Finance Act, 2006, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe the manner in which an appeal filed under that section shall be presented and verified.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

**अशोक गहलोत,
Minister Incharge.**

**1. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED
TAX ACT, 2003
(Act No. 4 of 2003)**

XX

XX

XX

XX

22. Assessment on failure to deposit tax.– (1) Where a dealer has failed to deposit tax in accordance with the provisions of section 20 within the notified period, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall, without prejudice to the penal provisions in this Act, after making such enquiry as it may consider necessary and after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, assess tax for that period to the best of his judgment.

(2) The tax assessed under sub-section (1), after adjustment of input tax credit and the amount deposited in advance in this behalf, if any, shall be payable by the dealer within thirty days from the date of service of notice of demand. However, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner, after recording reasons in writing, may reduce such period.

(3) The tax deposited under sub-section (2) shall be adjusted in the assessment for the relevant period.

XX

XX

XX

XX

24. Assessment.– (1) to (3) **XX** **XX** **XX**

(4) Where a dealer, other than those who have opted for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23, does not file annual return under section 21, or audit report under section 73, within the prescribed time, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall, assess the dealer on the basis of his books of accounts and if he fails to produce the same, to the best of his judgment.

(4A) Where a dealer who has opted for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23, does not file return for the quarter within the prescribed period under section 21, the assessing authority or the officer

XX XX XX XX

63. Penalty on awarders.- (1) XX XX XX

(2) The assessing authority of the contractor concerned or any other officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner, shall be empowered to recover tax and impose penalty under sub-section (1).

XX XX XX XX

2. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990 (Act No. 9 of 1996)

XX XX XX XX

16. Returns.- (1) XX XX XX

(2) If any hotelier, having furnished return under sub-section (1) discovers any omission or incorrect statement therein, he may furnish a revised return before the time prescribed for the submission of immediate next return.

17. Assessment, Rectification and Reassessment.-(1) XX XX

(2) If the Luxury Tax Officer is satisfied that the returns furnished by a registered hotelier in respect of any period are correct and complete, he shall assess the amount of tax due from the hotelier on the basis of such returns.

(3) If the Luxury Tax Officer is not satisfied that the returns furnished by a registered hotelier in respect of any period are correct and complete, and he thinks it necessary to require the presence of the hotelier or the production of further evidence, he shall serve on such hotelier a notice requiring him on a date and at a place specified therein, either to attend and produce or cause to be produced all evidence on which such hotelier relies in support of his returns or to produce such evidence as is specified in the notice. On the date specified in the notice, or as soon as may be thereafter,

the Luxury Tax Officer shall, after considering all the evidence which may be produced, assess the amount of tax due from the hotelier.

(4) If a registered hotelier fails to comply with the terms of any notice issued under sub-section (3) the Luxury Tax Officer shall assess, to best of his judgment, the amount of tax due from him.

(5) Where all the returns are filed by a registered hotelier for any year, no order of assessment under sub-section (3) or (4) in respect of that year shall be made after the expiry of three years from the end of the said year, and if for any reason such order is not made within the period aforesaid, then the returns so filed shall be deemed to have been accepted as correct and complete and the assessment shall be deemed completed accordingly:

Provided that where a fresh assessment is to be made in view of any order made in appeal under this Act or by the High Court or the Supreme Court such assessment shall be made within one year from the date of the receipt of such order by the Luxury Tax Officer:

Provided further that in computing any period of limitation laid down in this sub-section the time during which the assessment remained stayed under the orders of any competent authority or of the High Court or of the Supreme Court shall be excluded:

Provided also that the Commissioner in the interest of the revenue and for reasons to be recorded in writing, issue directions not to proceed with the assessment of any particular hotelier or class of hoteliers for any particular period and the period covered by such direction to stay the assessment proceeding shall be excluded in computing the period of limitation laid down in this sub-section.

(6) If a registered hotelier does not furnish return in respect of any period by the prescribed date, the Luxury Tax Officer shall, at any time within five years from the end of the year in which such period occurs, after giving the hotelier a reasonable opportunity of being heard, proceed to assess to the best of his judgment the amount of the tax (if any) due from him.

(7) to (10) XX XX XX
XX XX XX XX

**3. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY
OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999
(Act No. 13 of 1999)**

XX XX XX XX

12. Returns and Assessment.- (1) to (2) XX XX XX

(3) If the assessing authority is satisfied that any return submitted under sub-section (1) is correct and complete, he shall assess the dealer on the basis thereof.

(4) If no return is submitted by the dealer under sub-section (1), before the period prescribed or if the return submitted by him appears to the assessing authority to be incorrect or incomplete, he shall assess the dealer to the best of his judgment recording the reasons for such assessment:

Provided that before taking action under this sub-section, the dealer shall be given reasonable opportunity of proving the correctness and completeness of the return submitted by him.

(5) XX XX XX

(6) No assessment under this section for any year shall be made after a period of three years from the date on which return for that year is submitted by a dealer:

Provided further that nothing contained in this sub-section limiting the time within which the assessment may be made shall apply to an assessment made on the assessee or any person in consequence of, or to give effect to any finding, direction or order made under section 23 or section 24 or section 26 or any judgment or order made by any court.

(7) to (9) XX XX XX
XX XX XX XX

14. Summary assessments.- (1) Notwithstanding anything contained in sub-sections (3) and (4) of section 12, in the case of a dealer, the assessing

authority may at his discretion but subject to the provisions of sub-section (2), assess such dealer on the basis of the original return or the revised return, as the case may be, without requiring the presence or the production of books of accounts.

(2) For the purposes of sub-section (1), the dealer who is eligible for summary assessment under the provisions of this section may,—

- (a) in respect of the year ending 31st March, 2000 furnish to his assessing authority, the return relating to his turn-over under sub-section (1) of section 12 within a period of sixty days;
- (b) in respect of subsequent accounting years, submit to his assessing authority the return relating to his turn-over under sub-section (1) of section 12:

Provided that the return or revised return to be submitted by a dealer under this sub-section shall be accompanied by the enclosures specified in sub-section (3):

Provided further that no penalty under sub-section (5) of section 12 shall be levied nor any prosecution under clauses (a) and (f) of sub-section (1) of section 35 be instituted or continued in respect of a dealer, who submits a revised return in respect of any completed year of his business in accordance with the requirements of this section.

(3) Every return or revised return to be submitted by a dealer shall be accompanied by such enclosures as may be prescribed.

(4) Summary assessments under this section shall not be made in respect of a dealer for any year if.-

- (a) he has not been assessed under section 12 for a period not less than twelve months immediately preceding the commencement of the year under assessment and appeal, revision or other proceedings are pending disposal in respect of such assessment;
- (b) the assessment of the dealer has been completed under this section continuously for a period of three years immediately preceding the year under assessment;

- (c) proceedings under sub-section (2) of section 35 of this Act involving suppression of any taxable purchase value of goods or tax liability have been taken up or concluded or are pending finalisation in respect of the dealer for the year; and
- (d) proceedings involving suppression of any taxable purchase value of goods liable to tax in respect of him for any of the three years immediately preceding the year under assessment are concluded either under sub-section (2) of section 35 of the Act resulting in liability to pay tax over and above the tax liability declared in the return filed under sub-section (1) of section 12 for any such year.

XX

XX

XX

XX

16. Payment of tax in advance.- (1) Subject to such Rules as may be made by the State Government, every registered dealer shall send every month to the assessing authority a statement containing such particulars as may be prescribed and shall pay in advance the full amount of tax payable by him on the basis of the goods brought by him during the preceding month into the local area and the amount so payable shall be deemed to be an amount due from such dealer under this Act.

(2) If at the end of the year it is found that the amount of tax paid in advance by any dealer for any month or for the whole year in the aggregate was less than the tax payable for that month or the tax for the whole year as finally assessed, as the case may be, by more than fifteen percent, the assessing authority may direct such dealer to pay, in addition to the tax, by way of penalty, a sum not exceeding one and a half times the amount of tax so paid falls short of the tax payable for the month or for the whole year, as the case may be:

Provided that no penalty under this sub-section shall be imposed unless the dealer affected has had a reasonable opportunity of showing cause against such imposition.

(3) If no such statement is submitted by a dealer under sub-section (1) before the prescribed date or if the statement submitted by him appears to the assessing authority to be incorrect or incomplete, the assessing authority

may assess the dealer provisionally for that month to the best of his judgment, recording the reason for such assessment, and proceed to demand and collect the tax on the basis of such assessment:

Provided that before taking action under this sub-section the dealer shall be given a reasonable opportunity of being heard.

XX XX XX XX

28. Rectification of mistakes.- (1) With a view to rectify any mistake apparent from the record, the assessing authority, appellate authority or revisional authority may, at any time within five years from the date of any order passed by it, amend such order:

Provided that an amendment which has the effect of enhancing an assessment or otherwise increasing the liability of the assessee shall not be made unless the assessing authority, appellate authority or revisional authority, as the case may be, has given notice to the assessee of its intention to do so, and has allowed the assessee a reasonable opportunity of being heard.

(2) to (3) XX XX XX
XX XX XX XX

**4. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP
ACT, 1998
(Act No. 14 of 1999)**

XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless there is something repugnant in the subject or context,-

(i) to (x) XX XX XX

(xi) "Conveyance" includes,-

(i) a conveyance on sale,

(ii) every instrument,

(iii) every decree or final order of any Civil Court,

(iv) every order made under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956),

(v) sale of air rights,

(vi) sale/consent related to below surface rights,

by which property, whether movable or immovable, or any estate or interest in any property is transferred to, or vested in, any other person, intervivos, and which is not otherwise specifically provided for by the schedule;

	(xii) to (xxxvi)	XX	XX	XX
XX		XX	XX	XX

THE SCHEDULE

(See Section 3)

Description of Instrument	Proper Stamp Duty		
1	2		
1. to 4.	XX	XX	XX

“5. Agreement or memorandum of an agreement,-

- | | |
|---|---|
| (a) if relating to the sale of a bill of exchange; | Ten rupees. |
| (b) if relating to the sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate; | Subject to a maximum of two hundred rupees, ten rupees for every Rs. 10,000/- or part thereof, of the value of the security or share. |
| (bb) if relating to purchase or sale of an immovable property, when possession is neither given nor agreed to be given; | Three percent of the total consideration of the property as set forth in the agreement or memorandum of an agreement: |

Provided that the stamp duty paid on such agreement shall at the time of the execution of a conveyance in pursuance of such agreement subsequently be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance if such conveyance

- deed is executed within three years from the date of agreement.
- (bbb) if relating to secure the repayment of a loan or debt made by a bank or Finance Company; 0.1 per cent of the amount of loan or debt.
- (bbbb) if relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, any immovable property; One percent of the market value of the property.
- (c) if not otherwise provide for. One hundred rupees.
- Exemption:** Agreement or memorandum of agreement,-
- (a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No. 40;
- (b) made in the form of tenders to the Government for or relating to any loan.

6. to 20. XX XX XX

21. Conveyance as defined by section 2 (xi),-

- (i) if relating to immovable property. Eleven percent of the market value of the property.
- (ii) if relating to movable property. Half (0.5) percent of the market value of the property.
- (iii) if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Act No. 1 of 1956). Ten percent of the market value of the property.

Exemption:- Assignment of copy right by entry made under the Indian Copy Right Act, 1957 (Act No. 14

of 1957).

Explanation:- (i) For the purpose of this article an agreement to sell an immovable property or an irrevocable power of attorney or any other instrument executed in the course of conveyance or lease e.g. allotment letters, patta, licence etc. shall, in case of transfer of the possession of such property before, at the time of or after the execution of any such instrument, be deemed to be a conveyance and the stamp duty thereon shall be chargeable accordingly:

Provided that the provisions of section 51 shall be applicable *mutatis mutandis* to such agreement or power of attorney or instruments as are applicable to a conveyance:

Provided further that the stamp duty already paid on such agreement or power of attorney or instrument shall at the time of the execution of a conveyance or lease in pursuance of such instruments subsequently, be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance or lease.

Explanation.- (ii) For the purposes of clause (iii), the market value of the property shall be deemed to be the amount of total value of shares issued or allotted by Transferee Company, either in exchange or otherwise, and the amount of consideration, if any, paid for such

amalgamation.

22. to 42.

XX

XX

XX

43. (a) **Instrument of partnership** Five hundred rupees.

(b) **Dissolution of partnership** Five hundred rupees.

44. **Power of Attorney:-** (as defined by section 2 (xxx), not being a Proxy),-

Fifty rupees.

(a) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents;

(b) when authorising one person or more to act in single transaction other than the case mentioned in clause (a);

(c) when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;

(d) when authorising more than five persons but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;

(e) when given for consideration and authorising the attorney to sell any immovable property; The same duty as on a conveyance (No. 21) for the amount of the consideration.

(ee) when power of attorney is given without consideration to transfer or sell immovable property to-

(i) the father, mother, brother, sister, wife, husband, son, Two thousand rupees

daughter, grandson or grand-daughter of the executants.

(ii) any other person

Two percent of the market value of the property which is the subject matter of power of attorney:

Provided that the stamp duty paid on such power of attorney shall at the time of execution of a conveyance in pursuance of such power of attorney subsequently be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance if such conveyance deed is executed within three years from the date of power of attorney;

(f) in any other case.

Fifty rupees for each person authorised.

N.B.: The term 'registration' includes every operation incidental to registration under the Indian Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908).

Explanation: For the purpose of this Article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.

45. to 50.

XX

XX

XX

51. Settlement-

(A) Instrument of including a deed of dower.

The same duty as on a Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property settled as set forth in such settlement:

Provided that where an agreement to settle is stamped with the stamp required, for an instrument of settlement, and instrument of settlement in pursuance of such

agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed ten rupees.

Exemption: Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Mohammedans.

(B) Revocation of

The same duty as on a Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned as set forth in the instrument of revocation but not exceeding fifty rupees.

52. to 55.

XX

XX

XX

56. Trust,-

(A) Declaration of, - or concerning any property, when made by any writing not being a will.

The same duty as on a Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding sixty rupees.

(B) Revocation of, - or concerning any property when made by any instrument other than a will.

The same duty as on a Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding fifty rupees.

57. to 58.

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

5. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2006 (Act No. 4 of 2006)

XX

XX

XX

XX

42. Finalisation of the assessment list.- (1) Where no objection in respect of the land mentioned in the provisional assessment list, is filed in accordance with the provisions of section 41, the entries in respect of such land in the list shall be taken as final.

(2) Where an objection in respect of the land mentioned in the provisional assessment list is filed in accordance with the provisions of

section 41, the Assessing Authority shall, after affording an opportunity of being heard and producing evidence to the objector, decide the objections and confirm, revise or modify the entries in the provisional assessment list in respect of such land.

(3) The provisional assessment list shall thereupon be duly authenticated by the Assessing Authority and, subject to any amendment, addition, correction or modification made under section 43 or section 44 or as a result of any appeal under section 48, for any revision under section 51, as the case may be, taken as final. The list as finalized shall be published and made available for public inspection, in such manner as may be prescribed.

(4) The list so finalized shall, subject to any amendment, addition, correction or modification made under section 43 or section 44, or as a result of any appeal under section 48, or of any revision under section 51, as the case may be, take effect and come into force with effect from the 1st day of April following the date on which it has been finalized and shall remain in force till such time as a new list has been prepared and has come into force:

Provided that the list finalized for the first time after the enforcement of this Chapter shall take effect and be deemed to have come into force with effect from such date as may be notified by the State Government in the Official Gazette.

(5) The Assessing Authority may, in the manner laid down in sections 40, 41 and sub-sections (1) to (4) of this section, prepare a new list in every five year or even earlier provided that the State Government so desires.

XX

XX

XX

XX

48. Appeals.- (1) Any person aggrieved by an order under sections 42, 43 or 44, may at any time before the expiry of thirty days from the date of the order prefer in an appeal to the Appellate Authority:

Provided that no appeal shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of payment of not less than one half of the tax assessed and payable by the person preferring the appeal.

(2) The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry of the period referred to in sub-section (1), if he is satisfied that there was sufficient cause for to note preferring the appeal within that period.

(3) Every appeal under the section shall be presented and verified in the manner prescribed.

(4) The Appellate Authority shall, after affording an opportunity of being heard to the Appellant, pass such order on the appeal as it thinks fit and shall send a copy of the order to the Assessing Authority and such other persons as may be prescribed.

(5) The assessment list shall, where necessary, be modified in accordance with the decision of the Appellate Authority.

XX **XX** **XX** **XX**

51. Revision.- The State Government or such other Authority, as may be appointed by it in this behalf, may, on its own motion or on application made, call for the record of any proceedings or order of any authority under this Chapter for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such proceeding or order, and may pass such order in reference thereto as appears to it necessary for the ends of justice.

XX **XX** **XX** **XX**